

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0

दिनांक.....

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948(11 का 1948) की धारा-3 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद सबधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (संलग्न अनुसूचित नियोजनों में विविधिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड(डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीयउपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार वर्ष २००९=१००)
१	२	३	४
१	बौद्ध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जनवरी, २०१९	३००
२	पकड़ हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	फरवरी, २०१९	३००
३	चमे शोधनालय और चमे विनिर्माणशालाओं के नियोजन	मार्च, २०१९	३०५
४	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अप्रैल, २०१९	३१२
५	डिस्ट्रीबरी के नियोजन	मई, २०१९	३१४
६	पाटीजा के नियोजन	जून, २०१९	३१६
७	बैकरीज एवं कान्फकेशन के नियोजन	कुल	१८६४
८	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	क्ष: माह का औसत	१८६४
			६ = ३१०.८३ = ३१०
९	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	अधीत वृद्धि =	३१०
१०	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	पुनरीक्षित लिंगारित विन्दु	२५३
११	केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	प्रतिशत वृद्धि	२१०-२५३=५७
१२	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	५७५१००० = २५३	२२.५२% की वृद्धि
१३	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
१४	एसबेस्टस सीमेंट कारखाना के नियोजन		
१५	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन		
१६	बन्दुक कारखाने के नियोजन		
१७	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन		

१८	पेपर उद्योग के नियोजन		
१९	लॉन्ड्री एवं वांशिंग के नियोजन		
२०	होजियारी निर्माण के नियोजन		
२१	सिंटुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन		
२२	चम्स-वस्तु निर्माण के नियोजन		
२३	उड बकरी एवं फर्नीचर के नियोजन		
२४	आइसक्रीम एवं कोल्ड ट्रिंक्स के नियोजन		
२५	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन		
२६	फिशरीज के नियोजन		
२७	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन		
२८	प्राइवेटफेरिज एण्ड एलब्टीब्सी० के नियोजन		
२९	हार्ड कौक भट्ठा के नियोजन		
३०	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं विलनिक्स के नियोजन		
३१	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन		
३२	मुद्रणालय के नियोजन		
३३	अवरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन		
३४	हैंडलूम उद्योग के नियोजन		
३५	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन		
३६	रिफेक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन		
३७	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन		
३८	पछिलक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन		
३९	किसी विश्वविधालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन		
४०	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तरांओं के नियोजन		
४१	उनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन		
४२	डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म्स के नियोजन		
४३	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन		
४४	सिनेमा उद्योग के नियोजन		
४५	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन		

४६	सिलाई उद्योग के नियोजन	
४७	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्भवित है) के नियोजन	
४८	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लॉरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	
४९	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	
५०	सीमेंट से हयूम पाइप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	
५१	कृषि नियोजन	
५२	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	
५३	शीशा उत्थयोग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक	
५४	टप्टी, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	
५५	इलेक्ट्रोनिक उद्योग के नियोजन	
५६	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	
५७	ढलाई(फल्पड़ी उद्योग) के नियोजन	
५८	विस्कुट उद्योग के नियोजन	
५९	कोल ड्रिकेट उद्योग के नियोजन	
६०	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	
६१	लघु अभियंचण उद्योग (स्वचालित अभियंचण टुकानों को छोड़कर) के नियोजन	
६२	मिनरल शाईडिंग के नियोजन	
६३	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन	
६४	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	
६५	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन	
६६	मोटर बाड़ीबिल्डिंग के नियोजन	
६७	मैस, कैन्टीन एवं क्लब के नियोजन	
६८	चार्ट्ड/कॉस्ट अक्ऱ्यून्ड्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आक्टिक के नियोजन	
६९	प्राइवेट टकनीकी संस्थान, कौरिंग इन्स्टीच्यूट , निजी स्कूल आदि के नियोजन	
७०	जनीन के नीचे घाटर सप्लाई पाइप लाइन एवं केबल विद्युत के नियोजन	
७१	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	

८२	पंचाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	
८३	ग्राहीडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल और के नियोजन	
८४	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राईवर/खतासी/ परिचालक आदि के नियोजन	
८५	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	
८६	गोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	
८७	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधि० १९७६ से आध्यादित नियोजन	

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरे निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम भजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-४ में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरे निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जनवरी-जून, २०१९ (वर्ष २०१९ का प्रथम अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक ०१-१०-२०१९ की तिथि से देय होगा।

(संख्या-२/ एम०डल०-२०७१/२०१०, श्र० नि० १८३६ रॉची, दिनांक १६/१०/१९

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

१८/१०/१९
सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

एस० ओ०.....

दिनांक.....

का अँगोजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- ३४८ के खण्ड-३ के अधीन अँगोजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-२/ एम०डल०-२०७१/२०१०, श्र० नि० १८३७ रॉची, दिनांक १६/१०/१९

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

१८/१०/१९
सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O...../

dated

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
1	Dam Construction and Irrigation	January,2019	307
2	Shops Selling Cooked food stuff	February,2019	307
3	Tanneries and Leather Manufactory	March,2019	309
4	Cold Storage	April,2019	312
5	Distilleries	May,2019	314
6	Potteries	June,2019	316
7	Bakeries and Confectionaries	Total-	1865
8	Co-Operative Sector	Average	1865 6
9	Aluminum Industry	57X100 =	= 310-253
10	Khand sari Industry	253	Point 57 =22.52% increase

1	2	3	4
11	Chemical Pharmaceutical Industry		
12	Soap Making Industry		
13	Cement Pre-Stressed Product Industry		
14	Asbestos Cement factory		
15	Glass Sheet Industry		
16	Gun factory		
17	Religious and Social Industry		
18	Paper Industry		
19	Laundry and Washing		
20	Hosieries Manufacturing		
21	Manufacture of Sindur and Rang		
22	Manufacture of leather goods		
23	Wood work and Furniture		
24	Ice-cream and Cold drink		
25	Petrol and Diesel Pump		
26	Fisheries		
27	Khadi and Village Industry		
28	Private Ferrise and L.T.C.		
29	Hard Coke Oven		
30	Private Hospital, Nursing		
31	Construction or maintenance of Road or in building construction		

32	Printing Press
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)
34	Handloom Industry
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry
37	Any shop or Establisment
38	Public Motor Transport
39	Any University, Education Research of lultural Institution
40	Hotels, Eating House and Resturant
41	Any, Woolen Carpet making of Shawl weaving Establishment
42	Dairies and Poultry Farms
43	Auto Mobile Engineering
44	Cinema Industry
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills
46	Tailoring Industry
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry
49	Plastic Industry
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry
51	Employment in Agriculture
52	Book Binding Industry

53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory
55	Electronics Industry
56	Plywood Industry
57	Foundry Industry
58	Biscuit Industry
59	Coal Briquette Industry
60	Private Security Agency
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)
62	Mineral Grinding Industry
63	Employment of Sweeping and Cleaning
64	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots
65	Employment in Motor garages and workshops
66	Employment of Motor Body Building.
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.
71	Employment in Electricity Generator and supply
72	Employment in Decoration of Pandal etc.
73	Grinding and crushing of Mineral ore.


74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners	
75	Computer Coaching Institute etc.	
76	Employment of Mobile Tower etc.	
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of January-June, 2019, which is 1st half of 2019, will be payable from 01.10.2019.

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 1836 Ranchi, Dated 16/10/19]

By Order of the Governor of Jharkhand,


Under Secretary to Government


जापांक -२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०अ०नि०.... १८३७ राँची, दिनांक... १६.१०.१९.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५००प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6०/१०/१९
सरकार के अवर सचिव।

जापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०अ०नि०.... १८३७ राँची, दिनांक..... १६.१०.१९.

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

6०/१०/१९
सरकार के अवर सचिव।
नम

ज्ञापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.../८३७..... राँची दिनांक १६/१०/१९.....

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय(वैजसेल),भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक,लेबर ड्यूरो,शिमला /चण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद(केन्द्रीय)श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,राँची/ निदेशक,सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी विभागीय पदाधिकारियाँ(तकनीकी सहित)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
m/s
119

अनुसूची-1

क्रमसं.	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई- दिसम्बर, २०१४ तक का औंसत मूल्य सूचकांक दिस पर अन्यन्तर संजदूरी विधिरित की गई है।	जनवरी- जून, २०१५ तक का औंसत मूल्य सूचकांक दिस पर सूचकांक दिस पर महेश्वरी की भवता देख है।	उपभोक्ता सूचकांक मूल्य में वृद्धि (५ - ४)	इके हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महेश्वरी की अतिरिक्त राशि होगी।	तिथि जब से परिवर्तनशील महेश्वरी भवता की राशि देखी होगी।
							१
१	बौद्ध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं० १४६४, १४६५ दिनांक १४.०८.२०१५	२५३	३१० =५७ अधोन भूखूल०० २५३ =२२.५२%	३१० - २५३ ५७ प्रतिदिन छ.) १०२२०.००पर ४०४८.५८ प्रतिदिन ग.) १०२२०.००पर ४०४८.३० प्रतिदिन घ.) १०३३५.००पर ४०४८.४४ प्रतिदिन	क) १०२१०.००पर ४०४८.२५ प्रतिदिन से ख.) १०२२०.००पर ४०४८.५८ प्रतिदिन ग.) १०२२०.००पर ४०४८.३० प्रतिदिन घ.) १०३३५.००पर ४०४८.४४ प्रतिदिन	दिनांक १०.१०.२०१५
२	पक्षी तुड़ खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन						
३	चर्म शोधनालय और घर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन		नोव				
४	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन		१०५				
५	डिस्टीलरी के नियोजन		नोव				
६	पोट्रीज के नियोजन		१०५				
७	बैंकरीज एवं कानूनकेशन के नियोजन		नोव				
८	को-ऑपरेटिव सोन्टर के नियोजन		नोव				

1	2	3	4	5	6	7	8
१	अल्यूमिनियम उच्चोग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२	खण्डसारी उच्चोग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३	केमिकल एण्ट कमोस्युटिकल सद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४	साथुन निर्माण उच्चोग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५	सीमेट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उच्चोग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६	एसबैर्स्ट सीमेट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७	रलास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
८	बन्टुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
९	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१०	पेपर उपयोग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
११	लॉन्ड्री एवं वौशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१२	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१३	सिंटुर एवं रंग बनाने का उच्चोग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१४	चमो-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१५	उड़ रक्खी एवं फर्नीचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१६	आइसक्रीम एवं कोल्ड इंक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१७	पेट्रोल एवं डीजल पम्पस के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
२६	फिशरीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२७	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२८	प्राइवेटप्रैरिज एण्ड एलटी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२९	हाई कोक अड्डा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३०	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं विलनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३१	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३२	नुट्रिशनलरी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३३	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारबाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३४	हैडलूम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३५	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३६	रिफैक्ट्रीज फायरट्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३७	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३८	पश्चिम नोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३९	किसी विश्वविधालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४०	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव


1	2	3	4	5	6	7	8
४१	उच्ची कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४२	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४३	आंटी मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४४	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४५	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४६	सिलाई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४७	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्रक्क का निर्माण भी सम्भवित है) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४८	विजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा पलोरेन्स ट्रक्क निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४९	प्लस्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५०	सीमेट से ह्यूम पाईप, विजली का खनन एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५१	कृषि नियोजन	अधिसूचना सं- १४०३, १४०४टिनाक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५२	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	अधिसूचना सं- १४०३, १४०४टिनाक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५३	शीशा उद्योग के नियोजन(रत्नासशीट को छोड़कर)	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५४	टफ्टी, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
५५	इलेक्ट्रोनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५६	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५७	ढलाई(फ्रूपड़ी उधयोग) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५८	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५९	कौल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६०	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६१	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६२	मिनरल बाईंडिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६३	बुहारने और सपाई का कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६४	स्प्रेज माइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६५	मोटर गैराज एण्ड वक्स शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६६	मोटर बाह्यविलिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६७	मेस, कैंटीन एवं क्लब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६८	चार्टड/कॉर्स्ट अंकरन्टर्स/आईडिटर/ईक्स कंसल्टेन्सी एड आर्किटेक के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६९	प्राइवेट तकलीकी संस्थान, कोचिंग उद्योग इन्स्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७०	जर्मीन के नीचे लाटर सप्लाई पाइप लाइन एवं केबल विछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
७१	इनेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७२	पड़ाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७३	गार्डिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल और के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७४	सवारी एवं माल बाहक बाहन चलाने वाले ट्राईवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७५	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७६	मोबाईल टावर इलेक्ट्रिक के संचालन के कार्य	अधिसूचना सं- प्र० १८६, १८७-टिनाम १४.८८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७७	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधिन० १९७६ से आच्छादित नियोजन		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-२/एम०डब्ल्यू०-२०७९/२०१०, अ०नि० १८३७) राँची, दिनांक १६.१०.१९

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के अवार सचिव।


Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2014 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of January-June, 2019 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date which additional V.D.A. payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1467, 1458 Date 14-08-2015	-Do-	253	310 Or 57.x100 250 +22.52%	(a) On Rs. 210.00 Rs. 47.28 per day (b) On Rs. 220.00 Rs. 49.54 per day (c) On Rs. 230.00 Rs. 56.30 per day (d) Rs. 335.00 and above Rs. 75.44 per day <u>Monthly</u> (e) On Rs. 5460.00 Rs. 1229.58 (f) per month (g) On Rs. 5720.00 Rs. 1288.14 per month (h) On Rs. 7640.00 Rs. 1698.00 per month (i) Rs. 8710.00 and above Rs. 1961.48 per month	From 01.10.2019
2	Shops Selling Cooked food stuff	-Do-					
3	Tanneries and Leather Manufactory	-Do-					
4	Cold Storage	-Do-					
5	Distilleries	-Do-					
6	Potteries	-Do-					
7	Bakeries and Confectionaries	-Do-					

	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Co-Operative Sector	-Do-						
9	Aluminum Industry	-Do-						
10	Khandseri Industry	-Do-						
11	Chemical Pharmaceutical Industry	-Do-						
12	Soap Making Industry	-Do-						
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	-Do-						
14	Asbestos Cement factory	-Do-						
15	Glass Sheet Industry	-Do-						
16	Gun factory	-Do-						
17	Religious and Social Industry	-Do-						
18	Paper industry	-Do-						
19	Laundry and Washing	-Do-						
20	Hosiery Manufacturing	-Do-						
21	Manufacture of Sindur and Rang	-Do-						
22	Manufacture of leather goods	-Do-						
23	Wood work and Furniture	-Do-						
24	Ice-cream and Cold drink	-Do-						
25	Petrol and Diesel Pump	-Do-						
26	Fisheries	-Do-						
27	Khadi and Village Industry	-Do-						
28	Private Ferries and L.T.C.	-Do-						
29	Hard Coke Oven	-Do-						
		-Do-						

0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
71	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Employment of Mobile Tower etc.	Notification No-1469, 1470 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
77	Employment of Sales Promotion(Regulation Abolition) Act, 1976	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

[No-2/MW-2071/2010, L & T-.....1836.....Ranchi, Dated ...16.10.19.....]

By order of the Governor of Jharkhand,


Under Secretary to Government
m/c